श्रीमति नीतु कुमारी, मा०स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० अल्प–01 का अद्यतन उत्तर सामग्री

क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के अस्थावां अंचल अन्तर्गत ग्राम–डुमरावां के खाता नं०–943, प्लॉट नं०–2863, रकवा–10 डि० में हजरत गाजी शहीद की दरगाह शरीफ अवस्थित है, जिसके जीर्णोद्धार एवं घेराबंदी कराने की आवश्यकता है; यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त दरगाह शरीफ का जीर्णोद्धार एवं घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	**आंशिक स्वीकरात्मक** वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिला के अस्थावां प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम–डुमरावाँ में हजरत गाजी शहीद की दरगाह शरीफ जिसका खाता सं०–943, प्लॉट सं०–2863, रकबा–10 डि० की भूमि पर अवस्थित है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि सुन्नी बोर्ड/शिया वक्फ बोर्ड में निबंधित नहीं है। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के मार्गनिर्देशिका के अनुसार बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड अथवा शिया वक्फ बोर्ड से निबंधित औकाफ में ही बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य कराया जा सकता है। अतः हजरत गाजी शाह की दरगाह शरीफ का जीर्णोद्धार एवं घेराबंदी कार्य कराना संभव नहीं है।

ज्ञापांक–अ०सं०क० 10–10 (वक्फ) 08/2024 दिनांक–..............................

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक–121 दिनांक–05.02.2024 के अलोक में श्रीमति नीतु कुमारी, मा०स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० अल्प–01 का उत्तर सामग्री पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अपर सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क० 10–10 (वक्फ) 08/2024 दिनांक–.......................

प्रतिलिपि–उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
अपर सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क० 10–10 (वक्फ) 08/2024 507 दिनांक–12.02.2024

प्रतिलिपि–श्री एस० इकरामुल्लाह, प्रशाखा पदाधिकारी–08/~~आई०टी०~~ मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव–सह–निदेशक 12/2